

कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

E-Mail :- khairagarhdf@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 2-14/1501
प्रति,

खैरागढ़, दिनांक 15/07/2020

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत नेट/स्काई परियोजना के तहत मार्ग के समानांतर भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. के व्यपवर्तन की स्वीकृति बाबत। (Reg.No. FP/CG/OFC/43123/2019)
संदर्भ :- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./4880 दिनांक 10.07.2020

-000-

निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-836/1312 दिनांक 04.07.2020 द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत विभिन्न 04 बिन्दुओं के कमियों की पूर्ति करने का निर्देश दिया गया है इस संदर्भ में 04 बिन्दुओं की जानकारी संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दुवार आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
1	Form A Part-II के कालम नं. 16 (Species recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason) में वन मंडलाधिकारी द्वारा किये जाने वाला पार्ट-2 अपलोड नहीं किया गया है।	Form A Part-II के कालम नं. 16 में वनमंडल अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन Part-II में अपलोड किया गया है।
2	FRA Certificate कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपलोड नहीं किया गया है।	कलेक्टर द्वारा जारी किया गया FRA Certificate अतिरिक्त जानकारी के रूप में इस कार्यालय द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
3	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वेजीटेशन मैप फार्म-ए पार्ट-2 के अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड नहीं किया गया है।	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वेजीटेशन मैप फार्म-ए पार्ट-2 के अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड कर दिया गया है।
4	चेक लिस्ट अनुसार आवरण पत्र में 21 बिन्दुओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं किया गया है। इस हेतु नमूना संलग्न कर प्रेषित है जिस अनुसार आवरण पत्र तैयार कर प्रस्तुत करे।	चेक लिस्ट अनुसार पत्र में 21 बिन्दुओं का विस्तारपूर्वक विवरण इस आवरण पत्र में निम्नानुसार दर्शित है :-

21 चेकलिस्ट

क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.
1	आवेदक विभाग का मांगपत्र - आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वास्ते अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वन भूमि कुल 4.681 हे. भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई है।	01
2	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एक्नॉलेजमेंट स्लीप की छायाप्रति :- प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/43123/2019 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि जमा कराई गई जिसे चालान के माध्यम से वनमंडल अधिकारी के पी.डी. खाते में जमा कराया गया है।	02

3	वन क्षेत्र का विवरण :- आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वास्ते अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों के 1.084 हे. आरक्षित वनभूमि एवं 3.319 हे. संरक्षित वनभूमि कुल 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वन भूमि कुल 4.681 हे. भूमि पर आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत मांग की गई।	03-13
4	गैर वनक्षेत्र का विवरण :- खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 0.278 हे. है।	14
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोगीट 1:50000 स्केल पर :- प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	15-18
6	वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप :- वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप संलग्न किया गया है।	19
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारत नेट के अंतर्गत आवेदक संस्थान छ.ग. इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-आफ-वे के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 4.419 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. भूमि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार से वृक्षों का विदोहन नहीं होना है।	20-27
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप :- प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	28-30
9	न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र :- प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	31
10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही :- इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	32
11	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा :- भाग 1 :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारत नेट के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 4.419 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. भूमि की आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की चौड़ाई 0.50 मीटर एवं गहराई 1.65 मीटर पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है। भाग 2 :- खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि निम्नानुसार है :- आरक्षित वन 1.084 हे., संरक्षित वन 3.319 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.278 हे. कुल 4.681 हे. भूमि है। वनभूमि का घनत्व 0.4 है तथा परियोजना की कुल लागत 73 करोड़ 88 लाख रु. है। शासन के निर्देशानुसार वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग (आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है।	33-58
12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र :- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	59
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010) :- संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।	60-68
14	जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) :- खैरागढ़ वनमंडल की कुल वनभूमि का रकबा 131369.988 हे. है।	69
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि का रकबा हे.में:- खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत कुल 13 प्रकरणों में 160.928 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत किया गया है।	70

16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि का रकबा है. में :- व.स.अ.-1980 के तहत खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वनभूमि का रकबा 1.378 हे. है।	71
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति ना होने की जानकारी (छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010) :- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है और ना ही प्रस्तावित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	72
18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009) :- आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र क्रमांक 190 दिनांक 7.1.2020 को जारी किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	73-74
19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक भू-प्रबंध/1317 दिनांक 25.05.2007 :- प्रस्ताव में राजस्व वनभूमि सम्मिलित है। राजस्व वनभूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 102 दिनांक 7.1.2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	75-80
राज्य शासन से संबंधित		
20	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009 :- प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43123/2019 आबंटित है एवं 35000/- रुपये पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराई गई जिसे वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाते में जमा कराया गया है।	81
21	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छ.ग. की अनुशंसा :- आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं है, के संबंध में अधोहस्ताक्षरी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	82
अतिरिक्त जानकारी		
1	डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट मय सी.डी.	83-131
2	एफ.एम.आई.एस. से प्राप्त वन आवरण मानचित्र	132-142

अतः संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रस्ताव आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमंडल अधिकारी,

(खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़)

पृ.क्र./मा.चि./न.क्र. 2-14/1502

खैरागढ़, दिनांक 15/07/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर उनके कार्यालयीन पृष्ठानकन क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-836/1313 दिनांक 04.07.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2. प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वास्ते-अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ (छ.ग.) आफिस नंबर 402 चौथा माला मैगनेटो मॉल लाभाण्डी रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडल अधिकारी,

(खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़)